यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रापत्र संख्या :– 59 / 2023

1. राजीबाई पत्नी लोभूराम जाट निवासी चावण्डिया (दुगार) तह0 बेगूँ
2. सीताबाई पत्नी बालूराम जाट निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमीबाई पत्नी देवीलाल ब्राम्हण निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
2. नारायणलाल पिता देवीलाल ब्राम्हण निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
3. रतनलला पिता देवीलाल ब्राम्हण निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
4. शारदा पिता देवीलाल ब्राम्हण निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 09.07.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा चावण्डिया प0ह0 दुगार तह0 बेगूँ में स्थित है जिसके आराजी संख्या 255 रकबा 1.2950 हैक्टर है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 255 पर आने जाने एवं कृषि औजार लाने ले जाने का रास्ता आराजी संख्या 226 किस्म रास्ता से आराजी संख्या 259 बिलानाम की दक्षिणी सीमा पर होते हुए दक्षिण पूर्वी कोने से पूर्वी सीमा पर उत्तर तरफ चलता हुआ आराजी संख्या 257 की दक्षिणी सीमा तक जारी है, यह रास्ता यहाँ से आराजी संख्या 256 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 256 की उत्तरी सीमा पर चलता हुआ प्रार्थीगण की आराजी संख्या 255 पर पहुंचता है। आराजी संख्या 256 में रास्ता जो 5 से 6 फिट चखैडा था जिसे विपक्षीगण ने अपन`खातेदारी की होने का फायदा उठाते हुए बंद कर दिया जिसके स्थाई समाधान हेतु यह रास्ता 12 फिट चौडा की प्रार्थीगण को आवश्यकता है।

यह कि आराजी संख्या 256 के खातेदार द्वारा रास्ता हमेशा बन्द करने की धमकिया दी जाती रही है एवं 5, 7 फिट चौडा रास्ता में फसल बोने के बाद साधन आना जना भी संभव नहीं होता है जिससे प्रार्थीगण रास्ता के स्थाई समाधान हेतु उक्त मार्ग को 12 फिट तक विस्तारित कर विपक्षीगण को मुआवजा अदा कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम कराना चाहते है।

यह कि संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता अ से ब व ब से स बिलाना में जारी है एवं स से द व द से य को 12 फिट चौडा विपक्षीगण की आराजी संख्या 256 मे से विस्तारित कर मौके पर रास्ता कायम करा राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है एवं प्रार्थीगण के पास इससे भिन्न कोई मार्ग भी अपनी कृषि आराजीयात तक पहुंचने का उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गयां। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रार्थना पत्र पर रास्ते के सम्बन्ध मे विस्तृत रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु इस न्यायालय के द्वारा जरिये पत्रांक 5 दिनांक 22.1.2025 से तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 184 दिनांक 18.03.2025 के साथ भू0अ0नि0 की रिपोर्ट , पर्चामौका व नकल जमाबंदी नक्शाट्रेस के साथ रास्ते में काम आने वाली कृषि भूमि डी.एल.सी अनुसार गणना कर तहसील राजस्व लेखाकर की रिपोर्ट संलग्न होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

प्रार्थीगण की आराजी संख्या 256 मे नया रास्ता कायम करने के संबंध में प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार :–

1– प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु अतिआवश्यक है।
2– इस रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का रास्ता वैकल्पिक नहीं है।
3– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के खेत से पहुच हेतु मार्ग न्यूनतम दूरी पर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

प्रस्तावित रास्ता हेतु आराजी संख्या 256 में लम्बाई 155 मीटर और चौडाई 4 मीटर यानि 620 वर्गमीटर यानि 0.0620 हैक्टर भूमि आती है,जिसे नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा में नजरी नक्शे में लालस्याही से दर्शाया गया है।

5– प्रस्तावित नये मार्ग के मामले में मुआवजा राशि की गणना टीआरए अनुभाग से पृथक से कराई जाकर संलग्न है।

6– रास्ता बनाने के अधीन अवधारित भूमि के भूमूल्य के अतिरिक्त कोई वृक्ष फसल या संरचना इतयादि नहीं है।

रास्ता रिपोर्ट के साथ प्राप्त टी.आर.ए की रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :–

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत राजगढ अनुसार ग्राम चावण्डिया प0ह0 दुगार भू.अ.नि. वृत राजगढ की आराजी संख्या 256 मे से 620 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि का मूल्य – डीएलसी – 562000/–

डी एल सी का दुगना – 562000गुणा 2 यानि 1124000/– इ

प्रभावित भूमिधारको को देय कुल राशि 1124000/100000गुणा 62 यानि 69690/–

उक्त मुआवजा राशि 69690/– प्राप्त करने वाले हिस्सेदार काश्तकारान निम्न प्रकार से है :–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	256	उगमी पत्नी देवीलाल ब्राम्हण	1/5	13938
2–	256	नारायणलाल पुत्र देवीलाल ब्राम्हण	1/5	13938
3–	256	भैरूलाल पुत्र देवीलाल ब्राम्हण	1/5	13938
4–	256	रतनलाल पुत्र देवीलाल ब्राम्हण	1/5	13938
5–	256	सारदा पुत्री देवीलाल ब्राम्हण	1/5	13938
			योगः–	69690/–

उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला एक तरफा का होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने प्रार्थना पत्र अनुसार अपनी बहस करते हुए रास्ता में आने वाली विपक्षीगण की कृषि भूमि के लिए प्रार्थीगण उक्त राशि जमा कराने को तैयार होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा बहस सुने जाने एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्राप्त रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि आराजी पर पहुँच हेतु यह एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है, जिसे राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने व नक्शाट्रेस में रास्ता दर्ज करन का आदेश दिया जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की आराजी संख्या 255 रकबा 1.2950 हैक्टर भूमि पर पहुँच हेतु विपक्षीगण की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया की आराजी संख्या 256 रकबा 1.3440 हैक्टर भूमि मे से लम्बाई 155 मीटर और चौडाई 4 मीटर यानि 620 वर्गमीटर यानि 0.0620 हैक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को दी जाने वाली रास्ता भूमि की मुआवजा राशि 69690/– रूपये तहसीलदार कार्यालय के राजकोष में जमा कराने पर प्रार्थीगण की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया की आराजी संख्या 255 पर पहुँच हेतु विपक्षीगण के खाते की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया की आराजी संख्या 256 मे से 155वर्गमीटर लम्बा व चौडाई 4मीटर चौडा कुल 620 वर्गमीटर यानि 0.0620 हैक्टर भूमि का सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस में कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 533 दिनांक :– 21-7-25

प्रार्थना पत्र संख्या 59/2023 व अनवान राजीबाई बनाम उगमीबाई वगै प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए आर.टी. एक्ट में जारी आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)